


गोता प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम.
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016



पत्र सं०- 917 / वा0नि0-5 /

दिनांक- 25/4/14

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

मैसर्स आर्षा इन्फ्राडेवलपर्स प्रा0लि0
द्वारा श्री मधुरेस श्रीवास्तव
2/334, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विषय: ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं०-14/जी0एच0-13 वृन्दावन योजना, लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।
परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर-14 में स्थित भूखण्ड सं०-14/जी0एच0-13 पर एफ0ए0आर0 हेतु निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है।


- निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
- स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 25/4/14 से 24/4/19 तक।
- स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यदि उपलब्धि समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावधि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
- यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल 22012.72 वर्गमी0 (बेसमेंट+स्टिल्ट+12) तलों में से 5127.88 वर्ग मी0 (बेसमेंट+स्टिल्ट फ्लोर) तलों हेतु निर्माण क्षेत्रफल के लिए 6650.00 वर्गमी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेंट फ्लोर एवं स्टिल्ट फ्लोर में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में अंगणित नहीं किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है।
- बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात्) शेष निर्माण 16885.04 वर्गमी0 की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृत मानचित्र सलंगन है।)
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने को सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3 व उप आवास आयुक्त, वृन्दावन योजना द्वारा स्थल पर निर्माण इसी दशा में अनुमन्य किया जायेगा जबकि सम्बन्धित द्वारा प्रशंगत भूमि हेतु परिषद को देय समस्त भुगतान का निर्धारित समयानुसार अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- उपनिदेशक उ० प्र० फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्रांक संख्या-पी०-1947/एफ०ए०आर०-14 दिनांक 7-2-2014 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है। एवं भवन के निर्माण के पश्चात् तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय उपनिदेशक उ० प्र० फायर सर्विसेज लखनऊ, से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
- निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
- आवंटी द्वारा सलंगन प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंगन करना होगा। समयावधि तत्पश्चात् निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
- मैसर्स आर्षा इन्फ्राडेवलपर्स प्रा०लि०, द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार करने की दशा में वह मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।
- कम से कम 200 वर्गमी० क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
- रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
- भूकम्परोधी शासनादेश सं० 570-9-आ-12001 (भूकम्परोधी /2001/(आ०बा०) दिनांक 3.2.2001 एवं सं० 3751/9-आ-भूकम्परोधी/2001/(आ०बा०) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तों, सेट के मानचित्र सं०-4/11 के पृष्ठ भागों पर चर्या की गयी है। जिनका अनुसरण करना होगा।
- आवंटी द्वारा पर्यावरण, प्रदूषण विभाग एवं भारतीय विमानन पत्तनम् विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित को नियम एवं शर्तों के अनुसार ही भवन की ऊँचाई का निर्माण किया जा सकेगा।
- समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।

(Signature)
25.4.14

17. आवंटी द्वारा प्राविवरण, प्रदूषण विभाग एवं भारतीय विमानन पत्तनम् विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके सम्बंध में आवंटी को निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि गुप्त वास्तुशिल्प भूखण्ड पर छः महीने के अन्तर उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही निर्माण की 150 मी० से अधिक ऊँचाई का निर्माण किया जा सकेगा।
18. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशामन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशामन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
19. अधिशारी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
20. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात् भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट-6 प्रपत्र-ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (4 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (14 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सेट।
4. पूर्णता प्रमाण पत्र का प्रारूप -ब।


(संजीव कश्यप)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी


प्र० सं०-

/उक्त /

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-मुख्यालय वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधिशारी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र-ब की एक प्रति संलग्न है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटी को मलवा सामग्री की छूट दी गयी है, अतः यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी अपने ही भूखण्ड में निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा। (शर्त सं०-11)
4. उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध वृन्दावन योजना, लखनऊ को शर्त सं०-04 व 07के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।
5. उप निदेशक उ० प्र० फायर सर्विसेज लखनऊ को प्रपत्र -च सहित


(संजीव कश्यप)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी